



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या:- 6/2019 जी.सी.एम.एस नं० 2019/00003

वादीगण
1. लालाराम मीणा पुत्र रामूलाल मीणा
निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील बस्सी
जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण
1. भगवान सहाय पुत्र छोटूराम
बाकोलिया जाति रैगर निवासी ग्राम
उदयपुर गिलारियान तहसील
सांगानेर जिला जयपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री विनोद शर्मा, एड० वादी

पर्चा डिक्री

दिनांक 17/01/2025

दावा वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को सीमाज्ञान से सम्बन्धित होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 188 के तहत अनुतोष नहीं दिये जाने पर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

बस्सी जिला जयपुर (राज.)